राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

"Capacity building programme for women Police Officers"

दिनांक 03.07.2018 से 05.07.2018

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 03.07.2018 से 05.07.2018 तक **"Capacity building programme for women Police Officers"** विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में राजस्थान पुलिस की 01 पुलिस निरीक्षक, 19 उप निरीक्षक पुलिस एवं 07 सहायक उप निरीक्षक स्तर के कुल 27 महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में श्रीमती लाड कुमारी जैन, पूर्व अध्यक्षा, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर ने लिंग अवधारणा, जेण्डर समानता एवं महिला सशक्तिकरण एवं उनके विरूद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

श्री श्रीचन्द, एडीपी, आर.पी.ए., जयपुर द्वारा महिलाओं के विरूद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों के परिपेक्ष्य में साक्ष्यों का एकत्रीकरण, विशेषज्ञों के साक्ष्य व उनके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतीकरण, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 व भारतीय दण्ड संहिता 1860 के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की।

श्री निशीथ दीक्षित, एडवोकेट द्वारा महिलाओं संबंधी साइबर अपराधों के अनुसंधान में आधुनिक तकनीकी जैसे आई.पी. एड्रेस पता लगाना व सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 पर व्याख्यान दिया।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आर.पी.ए. ने महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, चिकित्सीय परीक्षण करवाना, घटनास्थल का निरीक्षण करना, गिरफ्तारी, बरामदगी करना, चार्जशीट पेश करने सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानों व किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 पर विस्तृत चर्चा की।

श्री आर.एस. शर्मा, (सेवानिवृत) अतिरिक्त निदेशक, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा महिला छेडछाड़ व बलात्कार संबंधी प्रकरणों में घटनास्थल पर पाये जाने वाले साक्ष्यों, मादक व स्वापक पदार्थो की महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर प्रवृति के अपराधों को अंजाम देने में भूमिका व पुलिस अधिकारी द्वारा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के अनुसंधान के दौरान साक्ष्यों को एकत्रित करना व उनको परीक्षण हेतु विधि-विज्ञान प्रयोगशाला तक सुरक्षित पहुचाने के दौरान ध्यान दिये जाने वाले बिन्दुओं व मृत्यू उपरान्त शव परीक्षण संबंधी विषय पर विस्तृत चर्चा की।

डॉ. अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक, आरपीए, जयपुर द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों संरक्षण अधिनियम 2012 व महिलाओं व बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों को रोकने में पुलिस की भूमिका पर विस्तृत प्रकाश डाला।

प्रतिभागियों द्वारा ''वर्तमान परिपेक्ष्य में सुरक्षा एवं सशक्तीकरण'' विषय पर सामूहिक परिचर्चा की गयी प्रतिभागियों को ''अपराजिता वन स्टाप क्राइसिस सेन्टर'' जयपुर का भ्रमण करवाया गया जहां प्रतिभागियों को महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों व पीडिता की शिकायत व निवारण के सम्बन्ध पर प्रकाश डाला सभी प्रतिभागियों को कोर्स के प्रमाण पत्र व फोटोग्राफ वितरित किये गये व प्रशिक्षण का समापन किया गया।